2022
311

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 232/2022

प्रार्थीनी :– 1. श्रीमती ओमकंवर पत्नी माधुसिंह जाति राजपूत निवासी रेवाडा जैतमाल, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जबरसिंह पुत्र कानसिंह
2. परबतसिंह पुत्र कानसिंह
3. श्रीमति धर्मकवर पत्नी कानसिंह जाति राजपूत निवासीयान थोब तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
4. सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड, शाखा बालोतरा
5. वगताराम पुत्र डुंगराराम
6. सिमथाराम पुत्र डुगराराम
7. जगाराम पुत्र डुंगराराम
8. लेहरो पुत्र डुंगराराम
9. लीला पुत्री डुंगराराम
10. इन्द्रा पुत्री डुंगराराम
11. सुकीदेवी बेवा डुंगराराम
12. धनिया पुत्र पुनमाराम
13. चिमना पुत्र सवाराम
14. ललाराम पुत्र सवाराम
15. दुदाराम पुत्र सवाराम
16. मंगलाराम पुत्र भीमाराम
17. झीमोदेवी बेवा भीमाराम
18. सांवलराम पुत्र नगाराम
19. रमेश कुमार पुत्र नगाराम
20. विकास पुत्र नगाराम
21. अर्जुन पुत्र नगाराम
22. धापुदेवी बेवा नगाराम
23. जवाराराम पुत्र कानाराम
24. करनाराम पुत्र कानाराम
25. भैराराम पुत्र कानाराम
26. नेमाराम पुत्र नवाराम
27. भंवराराम पुत्र गुणेशाराम
28. भीखाराम पुत्र गुणेशाराम
29. भैराराम पुत्र गुणेशाराम
30. गिलाराम पुत्र गुणेशाराम
    सभी जातियान चौधरी निवासीयान थोब तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर।
31. सरदार खां पुत्र नुरखां
32. मोहिनुदीन पुत्र सरदार खां जाति मुसलमान निवासीयान बालोतरा
33. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैक पचपदरा।
34. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बालोतरा।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–
1. श्री जेठूलाल कुमावत प्रार्थीगण
2. वकीलएकतरफा :– विप्रार्थीगण

'आदेश दिनांक :– 6.09.2022

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा थोब पटवार हल्का थोब के खसरा संख्या 1839/242 रकबा 27 बीघा 04 किस्म बारानी मे आई हुई है । प्रार्थीनी की उक्त खातेदारी भूमि के चारों तरफ खसरा संख्या 1838/242, 250, 1253/243, 243, 1251/243, 1250/242 व 1250/242, 1251/243 की खसरान की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण की जायदाद स्थित है। प्रार्थीनी उक्त आराजी भूमि की एकमात्र खातेदार है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 34 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। अभी वर्तमान में जमीन की कीमतो में बढोतरी होने के कारण प्रार्थीनी के उक्त खेत पर विप्रार्थीगण पडौसियों द्वारा प्रार्थीनी की उक्त अराजी खसरा की कृषि भूमि के चारो ओर तारबंदी एवं मेडबंदी की तोडने तथा उक्त विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की उक्त मेडबंदी को जगह –जगह अतिक्रमण कर हडपने को आमदा है। प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीनी ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 05.07.2022 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या – 1 ता 35 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

प्रार्थीनी वकील की बहस को सुना गया। प्रार्थीनी के वक्त काश्त प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीनी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी [illegible] विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीनी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक थोब को मौका कमिश्नर नियुक्त

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी

किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा कोब पटवार हल्का कोब के खसरा संख्या 1830/242 रकबा 27 बीघा 04 किस्म बारानी मे नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हो मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है, जिसे प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आज दिनांक 6.09.2022 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:03:23 IST
Reason: SelfAttested